

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-14102025-266915
SG-DL-E-14102025-266915असाधारण
EXTRAORDINARY
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 310]	दिल्ली, सोमवार, अक्टूबर 13, 2025/आश्विन 21, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 282
No. 310]	DELHI, MONDAY, OCTOBER 13, 2025/ASVINA 21, 1947	[N. C. T. D. No. 282

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHIव्यापार एवं कर विभाग
अधिसूचना

दिल्ली, 8 अक्टूबर, 2025

सं. 5(54)/नीति/वैट/2013/पीएफ/545-553.—चूंकि, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-डी-11/451/14/2024 दिनांक 28 जुलाई 2024 के पारस्परिकता के सिद्धांतों के अनुरूप नई दिल्ली में कैमरून गणराज्य के दूतावास के राजनयिकों के द्वारा सभी कर योग्य वस्तुओं की आधिकारिक एवं निजी प्रयोग हेतु खरीद के पक्ष में वैट रिफंड की छूट/सुविधा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से अनुरोध किया गया है।

2. और, चूंकि, मैं, नंदिनी पालीवाल, आयुक्त, मूल्य सवंधित कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, यह मानती हूँ कि ऐसा करना जन साधारण के हित में समीचीन है।

3. अब, इसलिए, दिल्ली मूल्य सवंधित कर अधिनियम, 2004 (दिल्ली अधिनियम 03, 2005) की धारा 103 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं एतद् द्वारा उक्त अधिसूचना की छठी अनुसूची में निम्नलिखित संशोधन करती हूँ, अर्थात्:

संशोधन

4. दिल्ली मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2004 (दिल्ली अधिनियम 03, 2005) की छठी अनुसूची में, भाग-क दूतावासों की सूची में प्रविष्टि संख्या 1 में, क्रम संख्या ए-150 के पश्चात नई उप-प्रविष्टि अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्:

क्रम संख्या	पंजीकरण संख्या	दूतावास
ए-151	07957227754	कैमरून गणराज्य

5. मूल्य वर्धित कर की वापसी इस शर्त के अधीन होगी कि प्रत्येक चालान का न्यूनतम चालान मूल्य 5000/- रुपये होगा।

यह अधिसूचना 28.07.2024 से लागू होगी।

नंदिनी पालीवाल, आयुक्त (मूल्य सवर्धित कर)

DEPARTMENT OF TRADE AND TAXES

NOTIFICATION

Delhi, the 8th October, 2025

No. 5(54)/Policy/VAT/2013/PF/545-553.—Whereas, the Ministry of External Affairs, Government of India, in accordance with the principle of reciprocity has requested the government of National Capital Territory of Delhi to grant *facility of VAT exemption/refund to the Embassy of the Republic of Cameroon in New Delhi*, on the payment of all the taxable goods for official use and for personal use of its diplomats vide their letter NO.-D-II/451(12)/01/2024 Dated 28 July 2024.

2. And, whereas, I, Nandini Paliwal, Commissioner, Value Added Tax, Government of National Capital Territory of Delhi, am of the opinion that it is expedient in the public interest to do so.

3. Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 103 of the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), I hereby make the following amendments in the Sixth Schedule of the said Act namely:

AMENDMENTS

4. In the Sixth Schedule appended to the Delhi Value Added Tax Act, 2004 (Delhi Act 03 of 2005), in Entry No.1, in Part-A- List of Embassies, after SI. No. A-150, the following shall be inserted, namely:-

SI. No.	Registration No.	Name of the Embassy
A-151	07957227754	Republic of Cameroon

”

5. The refund of Value Added Tax will be subject to the condition that the minimum invoice value for each invoice would be Rs. 5000/-.

This notification shall come into force with effect from 28.7.2024.

NANDINI PALIWAL, Commissioner, Value Added Tax